राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 1] सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 5 वां दिवस [संख्या 3

मंगलवार

दिनांक 8 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक म.प. 12.50 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

सभापति तालिका

श्री अध्यक्ष : सभापति तालिका के सदस्यों के नामों की घोषणा।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं :—

1. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
2. श्री प्रद्युम्नसिंह
3. श्री सम्पतराम
4. श्रीमती विद्या पाठक

घोषणा

समिति का मनोनयन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 212 के अन्तर्गत कार्य सलाहकार समिति के लिए तथा प्रक्रिया तथा कार्य चालन के नियमों के नियम 249 के अन्तर्गत गृह समिति 1980-81 के लिए निम्नांकित सदस्यों को मनोनीत करता हूं :—

कार्य-सलाहकार समिति

1. अध्यक्ष – आपके अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष होंगे।
2. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
3. श्री खेतसिंह राठौड़
4. श्री हरिदेव जोशी
5. श्री प्रद्युम्नसिंह
6. श्री भैरोंसिंह
7. श्री लच्छूराम

गृह समिति

1. श्री शिवचरण माथुर	सभापति
2. श्री खेतसिंह राठौड़	सदस्य
3. श्री राधेश्याम (गंगानगर)	,,
4. श्री रामकिशन वर्मा	,,
5. श्री चेतराम	,,
6. श्री परसराम (लक्ष्मणगढ़)	,,
7. श्री देवीसिंह (कोलायत)	,,
8. श्री भंवरलाल शर्मा	,,
9. श्री जेठमल बरवड़	,,

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

अभिभाषण

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी. वी. गिरि, संसद सदस्य श्री संजय गांधी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री तनसिंह एवं कल्याण सिंह सांखला के देहावसान पर शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि।

श्री अध्यक्ष : निम्नांकित व्यक्तियों के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा :—

1. श्री वी. वी. गिरि, भूतपूर्व राष्ट्रपति
2. श्री संजय गांधी, संसद सदस्य
3. श्री तनसिंह, भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा
4. श्री कल्याणसिंह सांखला, भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा।

श्री जगन्नाथ पहाडिया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्षजी, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी. वी. गिरि साहब का निधन सारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। न केवल भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के रूप में बल्कि उसके पहले और उसके बाद की भी उनकी सेवायें हमें याद हैं। मजदूर नेता कहलाने वाले श्री वी. वी. गिरि साहब हिन्दुस्तान के इतिहास में हमेशा याद किये जाते रहेंगे।

श्रमिकों की भलाई के लिए जब भी कभी कोई मसला आया उस समय गिरि साहब ने अपने पद का त्याग करना उचित समझा। उसके पहले देश की आजादी के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह चिरस्मरणीय रहेगा। राष्ट्रपति पद के प्रति उनकी आस्था और निष्ठा को देखते हुए देश ने उनको सम्मान दिया। जितना सम्मान उनको दिया गया मैं समझता हूं कि अब तक किन्हीं को दिये गये सम्मान से ऊंचा ही पड़ता था।

राष्ट्रपति होने के पहले वह कई राज्यों, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के राज्यपाल रहे। इसके पहले केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उसके पहले भारत की ओर से श्रीलंका में प्रथम उच्चायुक्त के रूप में भी उन्होंने काम किया। मैं इस मौके पर जब कि सारा राष्ट्र उनकी क्षति से शोकाकुल है अपनी ओर से और सदन की ओर से भी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं।

श्रीमन्, 23 जून, 1980 का दिन देश के इतिहास में एक गहन आघात के दिन के रूप में याद रहेगा। 23 जून के दिन स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री वी. वी. गिरि साहब ने जो बयान दिया था वह हमको याद आता है। हमें नहीं मालूम था कि 24 जून के दिन उनके लिए भी इस तरह के बयान देने पड़ेंगे। मैं याद करता हूँ उन दिनों को जब कि गिरि साहब के साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला। उनका व्यक्तित्व बहुत विलक्षण था, वह बहुत बड़े विचारक थे, उनके मन में पीड़ा थी सारे देश के प्रति लेकिन खास तौर से कमजोर और श्रमिक वर्ग के प्रति। भारत के राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिराजने के बाद भी वह श्रमिकों के हितों को नहीं भूलते थे। कई मौकों पर सलाह देते थे। कई बार ऐसा समय पड़ा। उनको सलाह देनी पड़ती तो सलाह वह दिया करते थे। उनके निधन से राष्ट्र को ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि सारे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इस अवसर पर मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शोकाकुल परिवार को शक्ति प्रदान करे और जहां भी हो उनकी आत्मा को वह शांति प्रदान करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब साथ ही ले लें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, 23 जून, 1980 का दिन भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन रहेगा जिसको हम याद तो करेंगे लेकिन बहुत दुःख के साथ क्योंकि हमारे साथी, हमारे नेता, जिन्होंने बहुत थोड़ी उम्र में ही अपने प्रचार से, अपने कामों से न केवल सारे राष्ट्र में बल्कि दुनियां में ख्याति प्राप्त कर ली थी। श्री संजय गांधी साहब का आकस्मिक निधन हवाई दुर्घटना में हो गया। जिस प्रकार उनके निधन से सारा राष्ट्र शोकाकुल हुआ वह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। सब ने अपने मन पर क्या आघात पहुंचा उसको महसूस किया है। केवल युवा नेता के तौर पर नहीं बल्कि अब तो वह देश के सभी वर्गों को नेतृत्व देने की क्षमता रखते थे। खास तौर से युवकों को जिस प्रकार से रचनात्मक कार्यों में लगाने की शुरुआत उन्होंने की थी उससे ऐसा लगता था कि युवा शक्ति, जो बहुत बिखरी हुई है, राष्ट्र के निर्माण में, रचनात्मक कार्यों में अब ठीक से लग जायेगी और बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जायेगा।

संजय गांधी साहब अदम्य साहस और धैर्य वाले थे। बड़े से बड़ा काम, बड़ी से बड़ी समस्या उनको कभी विचलित नहीं करती थी। उनकी विशेषता थी कि जो भी करना होता, एक बार तय कर लेते और उस निर्णय को सुना डालते। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि केवल निर्णय करके नहीं छोड़ते थे, निर्णय के कार्यान्वयन के लिये क्या हो रहा है इस ओर विशेष ध्यान देते थे। जीवन में निराशा नाम की चीज कभी सोची नहीं। मुझे यह नहीं मालूम उन्हें कभी किसी क्षण निराशा का ध्यान हुआ हो। उनका खुद का जीवन, परिवार का जीवन नहीं रह गया था, उनका जीवन तो सारे राष्ट्र के लिये, सारी दुनियां के लिये हो गया था। इसीलिये इस थोड़े अर्से के अन्दर, हम यह कहें, वे केवल महान व्यक्ति नहीं थे, एक शक्ति बन गये थे, एक विचारधारा बन गये थे, अपने आपमें एक संस्था बन गये थे। जो दिशा निर्देश हम चाहते थे वह प्राप्त करने से मिल जाता था। बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझते हुए जो काम करने की क्षमता का परिचय दिया, श्रीमन्, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो संघर्ष किया वह हम से छिपा हुआ नहीं है।

मनुष्य जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। उनके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आये लेकिन कुल मिलाकर कहना पड़ेगा कि छोटे जीवन में राष्ट्र को जो कुछ उन्होंने दिया, वह हमेशा हमें याद रहेगा। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किये वह कार्यक्रम आज भी हमारे सामने हैं। उन कार्यक्रमों को पूरा कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं।

और भी बातें हमें करनी हैं लेकिन इस मौके पर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जो रास्ता बतलाया था, उस रास्ते पर हम चल सकें और जो कार्यक्रम हमको दिये थे, और जो काम हमारे लिये छोड़ गये हैं वे काम हम कर सकें।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इस मौके पर देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जो उनकी मां हैं, के प्रति, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मेनका गांधी और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको वह शक्ति दे जिससे जो क्षति हुई है उसको सहन कर सकें और प्रधान मंत्री राष्ट्र को आगे बढ़ाती रहें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री संजय गांधी के निधन पर जिस साहस का परिचय दिया है वह मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार वह अपने आपको संभाले हुए थीं, दूसरों को भी संभाल रही थीं, ऐसा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा लगता है वह संजय गांधी की मां नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र की मां हैं। राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को उन्होंने बेटा मान रखा है जिस प्रकार से संजय गांधी ने सारे राष्ट्र को मां मान रखा था।

श्रीमन्, हमें यह मालूम नहीं था इतनी जल्दी भगवान उनको हम से छीन लेंगे। ऊपर वाले को क्या मन्जूर है, कोई नहीं जानता। उन पर आज तक किसी का वस नहीं चला, और चलेगा भी नहीं। यह प्राकृतिक सिद्धान्त है, जो आये हैं उनको जाना होगा। संजय गांधी हमारे बीच से चले गये, उनको मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जो रास्ता उन्होंने हमको बतलाया था उस रास्ते पर चलने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे ताकि जिस प्रकार के राष्ट्र की उन्होंने कल्पना की थी, उस प्रकार का राष्ट्र बन सके।

श्रीमन्, इसके साथ ही इस सदन के दो माननीय सदस्यों श्रीमान् तनसिंह और श्री कल्याणसिंह का निधन इस बीच हो गया। श्री कल्याण सिंह से मिलने का कोई अवसर नहीं मिला। जैसा मैंने सुना है, बड़े अच्छे सदस्य थे। राजस्थान की समस्याओं के बारे में जागरूक थे।

श्रीमन्, तन सिंह जी को मैंने नजदीक से देखा है। विधान सभा के सदस्य के रूप में भी और लोक सभा के सदस्य के रूप में भी। जिस प्रकार मौन रह कर वह अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ते थे, कोशिश करते थे, वह हमको हमेशा याद रहेगा। कई बार ऐसा मौका आया कि जब वे आते थे, पत्र लेकर आते थे। मैं पूछता तो पत्र पकड़ा देते थे।

इस मौके पर दोनों सदस्यों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी. वी. गिरि का निधन राष्ट्र के लिये भारी क्षति है। श्री गिरि को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। श्री गिरि उस पीढ़ी के स्तम्भों में थे जिस पीढ़ी ने भारत को आजाद कराने के आन्दोलन का श्रीगणेश किया। अन्ततोगत्वा आजादी प्राप्त कर देश को लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप सक्रिय चलाने में अपनी सारी जिन्दगी वे पूर्णतः सक्रिय रहे। राउंड-टेबल कान्फ्रेंस में जिस प्रकार का उनका योगदान था वह एक ऐतिहासिक विषय बन गया है, उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। इतना ही कहा जा सकता है कि उस आयु में भी उन्होंने भारी सूझबूझ का परिचय दिया था।

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

हिन्दुस्तान का श्रमिक वर्ग श्री वी. वी. गिरि को नहीं भुला सकता। उस व्यक्ति ने अपने देश में श्रमिक आन्दोलन का सूत्रपात ही नहीं किया बल्कि निरन्तर श्रमिकों के लिये संघर्ष करते रहे।

मैं ऐसा समझता हूं देश की कोई समस्या ऐसी नहीं होगी जिसको उन्होंने अनुभव न किया हो। वे मद्रास राज्य विधान सभा के सदस्य रहे, मद्रास सरकार के मंत्री रहे, लोक सभा के सदस्य रहे, केन्द्र सरकार के मंत्री रहे, उप राष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति पद पर भी उन्होंने कार्य किया। इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि श्री गिरि को विभिन्न क्षेत्रों का पूरा अनुभव था।

पद निवृत्त होने के पश्चात् आम तौर पर देखा जाता है कि लोग अपनी जीवन प्रक्रिया को बदलते हैं और जिन कामों में रिटायरमेंट तक उन्होंने भाग लिया है उन कामों के अतिरिक्त नये कार्यों में भाग लेकर वह अपना समय निकालने की चेष्टा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि गिरि साहब ने राष्ट्रपति पद से हटते ही बंगलोर में जाकर सबसे पहला आन्दोलन सफाई आन्दोलन शुरू किया। स्वयं ध्यान देकर बाजार में निकल गये, अपने साथियों को साथ लिया, नवयुवकों को प्रेरणा दी और सरकार को चेतावनी दी कि शहर की सफाई की समस्या का समाधान करने का केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है अपितु नागरिकों का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। नागरिकों के प्रतिनिधि बन कर सफाई आन्दोलन का उन्होंने श्रीगणेश किया। देश की समस्याओं के सम्बन्ध में मौन रहना जैसे उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। कोई भी विषय क्यों न हो, जिस विषय में भी स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत करने होते, वे निर्भीक रूप से अपने विचारों को रखते। उन्होंने कभी किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। उस व्यक्ति का हमारे बीच में से उठ जाना राष्ट्र की बहुत बड़ी क्षति है।

मैं उनके निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस महान् दुःख को सहन करने की शक्ति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथ ही उनकी आत्मा को शान्ति मिले, इस बारे में भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं।

श्री संजय गांधी का निधन वास्तव में एक दर्दनाक दुर्घटना का विषय है। एक युवक, जिसने राजनीति के संघर्ष में प्रवेश किया ही था, का युवावस्था में ही काल के क्रूर हाथों का शिकार होना वास्तव में बहुत वेदनाजनक है। मैं उनके परिवार के प्रति भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी परिवार में यदि इस प्रकार की युवा मृत्यु होती है तो उस परिवार को कितनी वेदना होती है उसका अनुमान ही किया जा सकता है, शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है।

मैं चाहूंगा, ईश्वर उनके परिवार को इस दारुण दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उनकी आत्मा को भी ईश्वर शान्ति प्रदान करे।

श्री तनसिंह राज्य विधान सभा के सन् 1952 में सदस्य रहे। दो बार वे विधान

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

सभा के सदस्य रहे और दो बार लोक सभा के सदस्य भी चुने गये। लोक सभा और विधान सभा में जिस प्रकार उनका सक्रिय जीवन रहा, मैं समझता हूं राजस्थान की जनता उससे अच्छी तरह परिचित है। साहित्य में तन सिंह जी की बड़ी रुचि थी। विशेष रूप से राजस्थानी साहित्य में उन्होंने कुछ रचनायें भी कीं। गीता के सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। मुझे स्मरण है, सन् 1952 से 57 तक की राज्य विधान सभा की कार्यवाही समाप्त होते ही जब बाकी के सब सदस्य घर चले जाते थे तो वे इसी लॉबी में काफी देर रात तक बैठ कर अपनी लेखनी को चलाते रहते थे। मैंने कई बार देखा है कि उन्होंने रात को एक बजे जाकर विश्राम किया। एक ग्रामीण क्षेत्र में रह कर इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना और राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करना, यह उनकी महत्वपूर्ण देन थी। अकस्मात उनका निधन हमारे लिये दुःख का विषय है।

मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री कल्याण सिंह जी सांखला सन् 1977 में राज्य विधान सभा के सदस्य चुने गये। एक गरीब घर में रह कर उस व्यक्ति ने राजनीति में अपने यौवन में प्रवेश किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया। अपने समाज के लोगों को ही उन्होंने काम करने की प्रेरणा नहीं दी बल्कि मुझे स्वयं को जानकारी है गरीबों को और खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों का जहां भी प्रश्न उपस्थित हुआ उनके लिये निर्भय होकर संघर्ष किया। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसके पहले दिन तक अनुमान नहीं था कि वे अजमेर इसीलिये जा रहे हैं कि उनकी जाते ही मृत्यु हो जायगी। उनकी पत्नी रुग्ण अवस्था में चल रही थी, हम लोग मिलने जाते थे। उस समय किसी प्रकार का अन्दाज नहीं था कि जब पत्नी के स्वस्थ होने पर अजमेर ले जायेंगे तो दूसरे दिन ही उनकी मृत्यु हो जायगी।

हमें उनके निधन पर काफी दुःख है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : श्रीमन्, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वाराह गिरि वेंकट गिरि का निधन हमारे देश के राजनैतिक क्षेत्र और सार्वजनिक जीवन के क्षितिज से एक जाज्वल्यमान नक्षत्र का अस्त हो जाना है। यह एक भारी क्षति है।

स्वर्गीय गिरि जी ने 60–65 वर्षों तक देश की अटूट सेवा की और राजनैतिक व सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान का गहरा प्रभाव पड़ा, यह महत्वपूर्ण योगदान था। हम उन्हें याद करते हैं उनकी क्रान्तिकारी भावनाओं के लिये, हम नतमस्तक हैं उस भावना के लिये जो उनमें उभर कर आई जब वह आयर लैण्ड के स्वतन्त्रता आन्दोलन के लीडर डीवेलरा के सम्पर्क में आये। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में रह कर भाग लिया और हमारी स्वतन्त्रता के निर्माताओं में प्रमुख रहे। जिस प्रकार उन्होंने हमारे देश में स्वस्थ मजदूर आन्दोलन का सूत्रपात किया, हम कह सकते हैं

(श्री राजबहादुर)

कि वे उसमें अग्रणी ही नहीं रहे बल्कि देश में मजदूर आन्दोलन और ट्रेड यूनियन मूवमेंट के पायोनीयर थे। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे मजदूर आन्दोलन को प्रभावित किया और हर कुर्बानी देकर उसके संगठन के लिये तत्पर रहे वह देश के लिये एक उदाहरण बना रहेगा। वह मजदूर वर्ग में काम करने वालों में एक अग्रणी रहे। वह एक कुशल प्रशासक थे उनकी उपलब्धियों की सूची काफी लम्बी है जिसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति का एक बड़ा भारी गुण जो मैं देख पाया वह यह था कि उनकी कथनी और करनी का भेद बहुत कम था या यह कहिये कि नहीं के बराबर था। जो कुछ वे कहते थे और जो कुछ उनका विश्वास था उसका अनुसरण करते थे। जो गान्धी जी की चेष्टा रही, उनका प्रयास रहा कि कथनी और करनी एक हो, उसकी अनुपालना के वे एक जीते जागते प्रमाण थे। उनका एक बड़ा गुण यह भी था कि वे बड़े स्नेहशील थे, उनके स्नेह भाजनों में से मैं भी एक हूं।

आज दुःख है वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं आशा करता हूं उनका जीवन न केवल राष्ट्रपति के नाते बल्कि एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में, स्वाधीनता सेनानी के के रूप में, मजदूर वर्ग के नेता के रूप में हमेशा-हमेशा अग्रणी रहेगा। उन्होंने देश को मार्ग दर्शन दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस महान दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

संजय गान्धी की अकाल मृत्यु वायुयान दुर्घटना में एक दर्दनाक घटना है। हमारी सहानुभूति हमारे देश की प्रधान मंत्री बहिन इन्दिरा को जाती है। उनकी मृत्यु से क्षति हुई है उसको वह सहन कर सकें। मैं प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को इस महान दर्दनाक विछोह को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

दो हमारे विधान सभा भाई स्वर्गवासी हुए हैं। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय नहीं था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उनके शोक सन्तप्त परिवारों को शान्ति और साहस मिले ताकि वे उनके विछोह को सह सकें। जो हम लोग उनके मित्र थे, उनकी स्वस्थ परम्पराओं को निभायें और उनके गुणों का पालन करें जिससे समाज को और आगे बढ़ाने की चेष्टा रहे।

जयहिन्द।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : माननीय अध्यक्षजी, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी. वी. गिरि का निधन भारत की जनता की बहुत बड़ी क्षति है। श्री वी.वी. गिरि मजदूर आन्दोलन के प्रणेता, बहुत ही ईमानदार, राजनीति में अपना स्थान रखने वाले और मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने वाले, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के बहुत ऊंचे-ऊंचे पदों पर कार्य करने वाले एक महान नेता थे। उनके निधन से स्पष्ट वक्ता, राजनैतिज्ञ राजनीति से उठ गया, यह बहुत बड़ी क्षति भारत को हुई है।

मैं उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से शांति की प्रार्थना करता हूं। उनके शोक संतप्त परिवार को शक्ति भगवान दे इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं।

(श्री हजारी लाल शर्मा)

श्री संजय गांधी भारत के युवकों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। उनका निधन वास्तव में एक बहुत बड़ा आघात है। इस सम्बन्ध में श्रीमती गांधी के साथ मेरी सबसे बड़ी सहानुभूति है। मुझे अनुभव है व्यक्तिगत कि जिस मां और बाप का जवान बेटा इस तरह से मर जाय उसकी क्या गति होती है। उस अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी चाहे कितना ही साहस प्रदर्शित करें लेकिन उनका दिल टूट गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको वह शक्ति दे कि इस चोट को वह बर्दाश्त कर सकें। उस आत्मा के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शांति दे और उस परिवार को यह शक्ति प्रदान करे कि वह इस दुःख को बर्दाश्त कर सके।

हमारे तीसरे साथी बाड़मेर जिले के श्री तनसिंहजी, जो विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं और पालियामेंट के सदस्य रह चुके, का निधन भी इस सदन के लिए बहुत ही दुःखदायी है। श्री तनसिंहजी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पिलानी कालेज से किया जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी है। वे बचपन से बहुत ही मेधावी छात्र थे। अनेक इनाम पाये अपने छात्र जीवन में। मेरिट लिस्ट में उनका ऊपर नाम रहा करता था। राजनीति में भी वे माहिर थे। अपने क्षेत्र में अनेक परिस्थितियों में, अनेक कैपेसिटियों में उन्होने काम किया। उनका निधन 7 दिसम्बर, 1979 को जब वे पालियामेंट का फार्म भरने जा रहे थे, अचानक हृदय गति रुक जाने से हो गया। इससे हमें बहुत दुःख है। उनके परिवार को भगवान वह शक्ति दे कि जिससे वह उस दुःख को बर्दाश्त कर सके और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

चौथे, श्री सांखला के बारे में मैं बहुत नहीं जानता हूं। सुनता हूं कि वे बहुत योग्य व्यक्ति थे। हमारे इस विधान सभा के सदस्य रहे और विधान सभा के सदस्य रहने के समय में उन्होंने अपना बहुत अच्छा रिकार्ड कायम किया। मुझे दुःख है उनकी मृत्यु पर। मैं उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शांति दे और संतप्त परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 और 24 जून का दिन हिन्दुस्तान के इतिहास के लिए हमेशा याद रहेगा। 23 और 24 जून हिन्दुस्तान का काला दिन था। यह दोनों दिन इस प्रकार के थे कि हिन्दुस्तान को कई सदियों तक याद रहेंगे।

हमारे देश के राष्ट्रपति श्री वी. वी. गिरि केवल एक ही क्षेत्र के नेता ही नहीं थे बल्कि श्रमिक क्लास में मास्टर से लेकर पालियामेंट तक और राष्ट्रपति के पद तक उन्होंने गौरवमय पद को निभाया है। उन्होंने हर क्षेत्र के अन्दर जो कार्य किए वह निष्ठा के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ किए।

मैं माननीय वी. वी. गिरि के शोक संतप्त परिवार को मेरी तरफ से संवेदना प्रगट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान यह शक्ति प्रदान करे कि वह इस कष्ट को, इस दुःख को बर्दाश्त कर सके।

(श्री लच्छू राम)

माननीय संजय गांधी केवल युवकों के नेता नहीं थे वल्कि उन्होंने थोड़े से दिनों के अन्दर तथा छोटी उम्र के अन्दर देश को एक नई दिशा दी। आज से दो चार साल पहले देश के अन्दर केवल बुजुर्वा नेताओं का देश पर बोल बोला था लेकिन माननीय संजय गांधी ने केवल कांग्रेस (आई) में ही नहीं बल्कि देश की अन्य पार्टियों के अन्दर युवक वर्ग का वर्चस्व कायम करने की एक नई परिपाटी डाली है। माननीय संजय गांधी माननीय इन्दिरा गांधीजी के सुपुत्र हैं लेकिन इसके साथ-साथ वे देश के युवकों के नेता हैं।

मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि माननीय संजय गांधी की आत्मा की शांति के लिए भगवान इस प्रकार की माननीय इन्दिरा गांधी को शक्ति प्रदान करे कि वह इस दुःख को बर्दाश्त कर सकें।

माननीय तनसिंहजी सन् 1957 से 62 तक मेरे साथ सदस्य रहे हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इसके अलावा मेरे साथ वे पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी में तीन साल तक सदस्य चुने जाते रहे। उनका जीवन बहुत सादा था। उनकी अपनी एक वाक् शैली, अपनी एक अलग पोशाक थी और अपने अलग विचार रहा करते थे।

मैं उन माननीय सदस्य की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान सांत्वना प्रदान करे।

माननीय कल्याणसिंहजी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। लेकिन अखबारों में, असेम्बली की प्रोसीडिंग्स को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि असेम्बली मेम्बर के रूप में, अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छी असेम्बली का निर्माण करने वाले सदस्य थे।

मैं उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे जिससे कि उनको शांति मिल सके।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : महोदय, भूतपूर्व राष्ट्रपति वी.वी. गिरि जी का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वे एक बहुत सच्चे, लगनशील व्यक्ति थे। देश को उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है इसकी पूर्ति होना असम्भव है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे जिससे वह इस कष्ट को सहन कर सके।

श्री संजय गांधी का निधन आज देश की युवा पीढ़ी के लिये और देश के नेताओं के लिये भी बहुत बड़े दुःख की बात है। उनका आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। उनसे देश को बहुत बड़ी आशायें थीं और मैं यह मान कर चलता हूं कि आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी देश की उन्नति करते। ऐसे समय में उनका निधन हम लोगों के लिए बहुत बड़े दुःख की बात है। मैं उनके परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसे ऐसे घोर कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री तनसिंहजी को मैं व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं जानता हूं लेकिन सुनने में आया है कि वे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। इस सदन को उनके जाने से बहुत बड़ा दुःख है। मैं उनके परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं

(श्री मोहन लाल मोदी)
कि उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे कि उनके दुःख को सहन कर सके।

श्री सांखलाजी से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं। वे अजमेर गए उससे दो रोज पहले मेरी गवर्नमेंट होस्टल में उनसे मुलाकात हुई थी। ऐसे अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे। वे बड़े तन्दरुस्त, बड़े अच्छे हट्टे कट्टे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका इतना जल्दी निधन हो जाएगा। उनके निधन से बड़ा दुःख पहुंचा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे जिससे इस कष्ट को सहन कर सके।

श्री मेघराज तावड (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, देश की महान विभूति श्री वी.वी. गिरि के निधन से देश को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। श्री वी.वी. गिरि मजदूरों के मसीहा थे। उन्होंने मजदूरों की हर लड़ाई को आगे रह कर लड़ा। उन्होंने मजदूरों को एक नया रास्ता दिया।

एक बार वी वी.गिरि जब जयपुर में पधारे थे तब उन्होंने यह बात कही थी कि आज देश की हालत कितनी पिछड़ी हुई है। आज एक जेल का कैदी भी दूसरों से अच्छा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं की कितनी जबरदस्त उनकी पकड़ थी। आज सबसे जबरदस्त नुकसान मजदूर वर्ग का हुआ है जिनका मसीहा इस देश से चला गया। वह एक महान विभूति, इस देश के गौरव थे, जिनको हमने खो दिया।

मैं उस महान विभूति, वी. वी. गिरि को अपनी ओर अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं मानता हूं कि समाज और मजदूर उनके आदर्शों को कायम रखें, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

दूसरे युवक नेता संजय गांधी की आकस्मिक मृत्यु की घटना पर खेद प्रकट करता हूं।

हमारे दो साथियों का निधन हो गया। तनसिंह जी को मैं जानता नहीं। वह हमारी विधान सभा के सदस्य रहे हैं। मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री कल्याणसिंह जी सांखला से भी मेरा परिचय नहीं रहा। वह भी हमारे सदन के सदस्य थे। उनको भी मैं मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति वी. वी. गिरि की मृत्यु पर शोक संवेदना प्रकट करता हूं और कहना चाहता हूं कि भू. पू. राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि देश के राष्ट्रपति ही नहीं देश की आजादी के योद्धा भी थे और देश के मजदूरों के मसीहा थे।

दूसरे संजय गांधी आकस्मिक मृत्यु के शिकार हो गये। उनका परिवार आकस्मिक दुःख का शिकार हुआ है। उसके प्रति हार्दिक संवेदना जाहिर करता हूं।

दूसरे श्री तनसिंह जी और श्री कल्याणसिंह जी इस सदन के सदस्य रहे हैं। उनकी

(श्री त्रिलोक सिंह)

मृत्यु से उनके दुखी परिवारों के प्रति भी मैं संवेदना जाहिर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों ने श्री वी. वी. गिरि साहब, श्री संजय गांधी, श्री तनसिंह जी और श्री कल्याणसिंह जी के निधन पर जो शोक और संवेदना व्यक्त की है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

हमारे भू.पू. राष्ट्रपति गिरि साहब एक महान व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत ही कुशल प्रशासक थे और महान देशभक्त थे। उनके जीवन से हम लोग बहुत सीख सकते हैं। अन्त तक वे इस देश की शोषित जनता की भलाई में लगे रहे। सक्रिय राजनीति से हटने के बाद में भी उन्होंने हमें हमेशा मार्गदर्शन देने की कोशिश की। देश के शोषित मजदूरों के लिये उन्होंने जो कुछ किया है वह सर्व विदित है। मजदूरों के संगठन को मजबूत करना, उनके लिये अच्छे अच्छे कानून बनाना, उनके लिये संघर्ष करना, जीवन भर उन्होंने यह कार्य किया है।

दु:ख की बात है कि वे आज हमारे साथ नहीं रहे। उनके जाने से हमारे देश को जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति होना बहुत कठिन है।

परम पिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और उनके परिवार के सदस्यों, उनके प्रियजनों और हम सबको इस महान दु:ख को झेलने की शक्ति प्रदान करे।

श्री संजय गांधी का आकस्मिक निधन वास्तव में एक गंभीर दु:ख का ही प्रतीक है। उनके निधन से हमारे देश के लोगों को बहुत बड़ा दु:ख हुआ। हमारे देश के लोगों को ही दु:ख नहीं हुआ विदेशों में भी जिस किसी ने सुना शोक में डूब गया।

उन्होंने बहुत छोटी उम्र पाई। कुल 5-6 साल तक वे राजनीति में रहे। उन्होंने हमारे देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। करीब 20–25 साल की स्वतंत्रता में एक कमी जो हमारे देश में थी वह यह कि हमारे देश की राजनीति बूढ़ी होती जा रही थी और नई पीढ़ी राजनीति में नहीं आ रही थी। यह श्रेय श्री संजय गांधी को है कि उन्होंने नई पीढ़ी को राजनीति से जोड़ा। उसका सहयोग लेने में वे सफल रहे। आज हम देखते हैं कि सभी स्तरों पर हमारी नई पीढ़ी सक्रिय है। देश के नव-निर्माण का बीड़ा उन्होंने उठाया। उन्होंने पांच सूत्री कार्यक्रम हमें दिये जिसमें वृक्षारोपण, हमारी बढ़ती हुई आबादी का नियंत्रण और पर्यावरण जो दूषित हो रहा है उसमें सुधार किया जाय, पिछड़ी बस्तियां शहरों में हैं उनमें सुख-सुविधाएं मिलें—ये सब कार्य उन्होंने हाथ में लिये। वे केवल भाषण देने वाले राजनेता नहीं थे। उन्होंने काम पर अधिक जोर दिया। उनके बारे में चाहे कई मतभेद हो सकते हैं राजनीति के बारे में, लेकिन यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। किसी वाद में न पड़ कर शुद्ध प्रान्तीयता के आधार पर हमारी राजनीति चले, हमारे देश का नव-निर्माण हो, यह नई बात उन्होंने दी।

(12)

(श्री अध्यक्ष)

उनका असामयिक निधन हम सबके लिये बहुत बड़े दुःख का विषय है। उनके जाने से जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति बहुत कठिन है।

परम पिता परमात्मा से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवारजनों, प्रियजनों एवं उनके अनुयायियों, इन सब को ईश्वर वह हिम्मत दे, जिससे कि वे इस महान् दुःख को सहन कर सकें।

श्री तनसिंहजी इस विधान सभा के दो दफा सदस्य रहे और दो दफा लोकसभा के लिए चुने गये। श्री तनसिंहजी मेरे सहपाठी थे। उनमें जो अच्छाइयां थीं, उनसे आप और हम अच्छी तरह से परिचित हैं। उनमें अद्भुत संगठन शक्ति थी। उन्होंने सन् 1945 से लेकर 1955-56 तक युवकों को पश्चिमी राजस्थान में संगठित करने की कोशिश की वह राजस्थानी संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति के कट्टर समर्थक थे और आखिर तक वह ग्रामीण बने रहे, चाहे किसी भी उच्च पद पर चले गये हों, तब भी। वे बहुत ही मेहनती, ईमानदार और विद्वान व्यक्ति थे। उनके उठने से हमें बहुत बड़ी क्षति पहुंची है।

परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को इस महान दुःख को वहन करने की शक्ति दे।

कल्याणसिंहजी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला। वे एक बहुत ही अच्छे समाज सेवक थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे, अच्छे पत्रकार थे। गरीब लोगों का उत्थान हो, पिछड़े वर्ग का उत्थान हो, शोषित लोगों का उत्थान हो, इसमें उनकी गहरी रुचि थी। वे असमय ही हमारे बीच में से चले गये, इसका हम सबको बहुत गहरा दुःख है। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे, यही मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है।

अब हम दो मिनट खड़े होकर दिवगंत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट खड़े रह कर दिवंगत-आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की एवं श्रद्धांजलि अर्पित की)।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 9 जुलाई, 80 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 1.43 बजे बुधवार, दिनांक 9 जुलाई, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।]

परिशिष्ट

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

राजस्थान की इस नवगठित विधान सभा के वर्तमान सत्र को संबोधित करते हुये मैं सप्तम् विधान सभा के सदस्यों के रूप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।

जनवरी, 1980 में हुये लोक सभा के तथा मई में हुये विधान सभा के मध्यावधि चुनाव राजस्थान राज्य में बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुये; यह राज्य की जनता की लोकतंत्र में दृढ़ आस्था और परिपक्वता का द्योतक है। इन दोनों चुनाव परिणामों ने पुरजोर रूप से राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर यह प्रतिपादित किया है कि इस देश का मतदाता सत्ता हथियाने के लिये किये गये किसी भी सिद्धान्तहीन गठबन्धन को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। मतदाता ने फासिस्ट, साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी, सामन्ती एवं जातीय संगठनों एवं तत्वों को खुले रूप से ठुकरा एक बार फिर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं गुटनिरपेक्षता की प्रगतिशील नीतियों एवं कार्यक्रमों में अपनी अटूट आस्था व निष्ठा प्रकट की है। गत तीन वर्षों के दिशाहीन शासन को राज्य की जनता ने जिस लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से विदा किया है इसके लिये यह सरकार मतदाताओं के अपूर्व साहस एवं विवेक की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकती। राष्ट्र के आर्थिक उत्थान के लिए जिन सर्वमान्य सिद्धान्तों और नीतियों को पिछले दिनों तिलांजलि दे दी गई थी, उनकी समाजवाद और धर्म निरपेक्षता के आधार पर पुनः स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प से नये प्रयत्न किये जायेंगे। इस परिवर्तन के साथ ही राज्य के विकास को निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी।

राज्य की जनता ने मई, 1980 के चुनावों के द्वारा जिन आशाओं और विश्वास के साथ वर्तमान सरकार को कार्यभार सौंपा है उन्हें पूरा करने के लिए यह सरकार दृढ़ एवं प्रगतिशील कदम तत्परता से उठायेगी। सरकार कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार लायेगी। राज्य सरकार का यह अथक प्रयास रहेगा कि अपराधों में कमी हो और समस्त वर्गों में, विशेष रूप से कमजोर तबके के लोगों में, कानून एवं व्यवस्था के प्रति विश्वास जागृत हो। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जावेगा जिससे जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और अमीर एवं गरीब के बीच विद्यमान असमानता को कम किया जा सके। मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये कारगर कदम उठाये जायेंगे और असामाजिक तत्वों, तस्करों, मुनाफाखोरों व कालाबाजारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। शीघ्र ही वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक अनुमान माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे जिसमें भावी सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा। फिर भी मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार प्रदेश के द्रुत विकास हेतु आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये कटिबद्ध है। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम, जो मूलतः ग्रामीणों विशेषतः भूमिहीनों, विद्यार्थियों, मजदूरों,

(14)

छोटे व्यापारियों, किसानों, बेरोजगारों, दस्तकारों, हाथकर्घा बुनकरों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति व समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिये वरदान सिद्ध हुआ है, को पुनः क्रियाशील किया जायेगा। पांचवी योजना के दौरान चालू किये गये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यथा प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, सड़कें, पेयजल, विद्युतीकरण, भूमिहीन मजदूरों के लिये आवासीय व्यवस्था, पर्यावरणीय सुधार एवं पोषाहार को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

स्वर्गीय नेता श्री संजय गांधी द्वारा दिया गया पांच सूत्री कार्यक्रम परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, अशिक्षा निवारण एवं दहेज विरोधी अभियान ग्राम समाज के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। अतः सरकार ने इस कार्यक्रम को उनकी स्मृति में मूर्त रूप देना निश्चय किया है।

आज हम बड़ी गम्भीर परिस्थितियों में मिल रहे हैं। राज्य की अधिकांश जनता अकाल एवं सूखे से कई महीनों से जूझ रही है। गत वर्ष राज्य के अधिकांश भाग में मानसून की वर्षा यथा समय एवं अपेक्षित मात्रा में न आने के कारण 26 जिलों की 188 तहसीलों में अभाव की स्थिति घोषित की गई। 31,095 गांव अभाव की स्थिति से प्रभावित हुए। सूखे की इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिये राज्य में लगभग 18,750 राहत कार्य विभिन्न पंचायतों एवं विभागीय अभिकरणों के माध्यम से चलाये जा रहे हैं, जिन पर 9.31 लाख श्रमिक काम पर लगाये गये। यह अनुभव होने पर कि पूर्व में पर्याप्त संख्या में राहत कार्य नही खोले गये थे तो आवश्यकतानुसार और राहत कार्य खोले गये। इन कार्यों पर लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान शीघ्रता से किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने मार्च, 1980 में अभावग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के समय सुझाव दिया था कि सहायता कार्य में लगे हुये मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की जाये। तदनुसार मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है।

पीने के पानी सम्बन्धी समस्या भी काफी गम्भीर रही। अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है तथा ट्रक-टेंकरों, रेल-टेंकरों, पिवाई व्यवस्था द्वारा, नये कुओं को खोद कर एवं पुराने कुओं को गहरा कर पीने का पानी उपलब्ध कराने का अथक प्रयास किया जा रहा है।

राज्य के 4 जिलों के कुछ भागों में पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सेना की सहायता भी ली गई है, जिसके लिये उनको धन्यवाद है।

पशुओं के लिये समुचित मात्रा में चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चारे की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है व चारा उपलब्ध कराने तथा पशुओं के पोषण के लिये पशु शिविरों की स्थापना की गई है। चारा उगाने के लिये विशेष प्रोत्साहन भी दिया गया है।

भारत सरकार से प्राप्त 5 हजार मैट्रिक टन गेहूं व 900 मैट्रिक टन चावल का उपयोग राज्य में पोषाहार सुविधायें देने के लिये

किया गया है, ताकि कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं और असहाय एवं अपंग व्यक्तियों को पोषाहार उपलब्ध कराया जा सके।

राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न राहत कार्यों के लिये केन्द्र सरकार से इस वर्ष 15.32 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था एवं अग्रिम योजना सहायता के रूप में प्राप्त हुई है। यह व्यवस्था राज्य के पास प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत पहुंचाने हेतु उपलब्ध राशि 7.74 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रभावित गांवों में काश्तकारों के विरुद्ध संबंधित अधिनियम में निर्दिष्ट दीवानी दावों और डिक्रियों की क्रियान्विति तथा रहन संबंधी कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बारानी भूमि-धारकों से सम्वत् 2036 की भू-राजस्व की वसूली भी 30-9-80 तक स्थगित कर दी गई है। सहकारिता विभाग के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार ने यह आदेश भी दिये हैं कि काश्तकारों की ऋण अदायगी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सहकारिता ऋण वसूली में जोर जबरदस्ती नहीं की जाय।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 1.81 लाख मै. टन सामान्य काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत व 1.25 लाख मै. टन विशिष्ट काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत तथा इस वर्ष अभी तक 10 हजार मै. टन व एक लाख मै. टन अनाज क्रमशः सामान्य काम के बदले अनाज योजना व विशिष्ट काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त जितनी और अनाज की जरूरत होगी, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा।

अकाल की समस्या अत्यन्त गम्भीर है और वित्तीय साधन सीमित हैं, फिर भी सरकार पूरी सहायता का इन्तजाम करने में लगी हुई है। इस कठिन घड़ी में मैं आप सबसे अकाल का मुकाबला करने में सहयोग की अपेक्षा करता हूं। राज्य में मानसून का आगमन हो चुका है और पूरी आशा है कि इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। आगामी फसल के भी अच्छे होने की संभावना है।

सरकार के सामने आज एक और महत्वपूर्ण कार्य आम आदमी को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि कराना है। इस हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और व्यापक एवं गतिशील बनाया जायेगा। वर्तमान में 8,825 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं, जिनमें 1,760 शहरी क्षेत्रों में तथा 7,065 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। कुल दुकानों में 5,209 दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं। इन दुकानों की संख्या और अधिक बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया जावेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को कठोरता से लागू किया जा रहा है जिससे आवश्यक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो सकें। इस कार्यवाही के अन्तर्गत 1,359 प्रकरण बनाये गये, 131 व्यक्तियों को

(16)

गिरफ्तार किया गया एवं 74 लाख 70 हजार मूल्य की वस्तुएं जब्त की गईं। इसके अतिरिक्त चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति-संधारण अधिनियम, 1980 को भी राज्य में लागू किया जाकर इसके अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधीशों को निर्देश दिये गये हैं।

राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ठीक करना तथा प्रत्येक नागरिक को उसकी जान माल की सुरक्षा बाबत पूर्णतः आश्वस्त करना जनतांत्रिक सरकार का पहला कर्तव्य है। कमजोर वर्ग के लोगों विशेषतः अनुसूचित जाति व जन जाति में सुरक्षा की व्यवस्था हेतु प्रशासनिक ढांचे को गतिशील बनाने के लिए राज्य के प्रत्येक उप-खण्ड स्तर पर एक रेवेन्यू व पुलिस का मिला-जुला प्रकोष्ठ गठित किया गया है जो इन वर्गों के व्यक्तियों की शिकायतों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा करने के साथ ही मौके पर जाकर इन वर्गों के लोगों में सुरक्षा की भावना भी पैदा करेगा। राज्य स्तर पर भी महा-निरीक्षक आरक्षी के मुख्यालय पर एक प्रकोष्ठ अपर महानिरीक्षक आरक्षी (सतर्कता) की देख-रेख में कार्यरत है। इन वर्गों में गम्भीर अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता की भी एक योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियों को राहत हेतु इस वर्ष योजना अन्तर्गत 5 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। जिलाधीशों को इस हेतु धनराशि उपलब्ध की गई है, जिससे वे पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र सहायता पहुंचा सकें। आवश्यकतानुसार इस राशि को और बढ़ाया जायेगा।

अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं उनके हितों के प्रति भी सरकार पूर्णतः जागरूक है और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने एवं असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने हेतु कृत संकल्प है।

अपराध वृत्ति में कमी के लिये पुलिस विभाग को सुदृढ़ किया गया है। अपराध संबंधी आंकड़ों के संकलन एवं तत्काल उपलब्धि की दृष्टि से अभी हाल ही में एक कम्प्यूटर की स्थापना की गई है, जो आधुनिकीकरण की दिशा में एक नया आयाम है। सरकार, पुलिस कर्मचारियों को जिन हालात में कार्य करना पड़ता है, उनके संबंध में पूर्णतया सजग है और उनको अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने को प्रयत्नशील रहेगी। साथ-साथ उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे आम आदमी के कष्टों के प्रति संवेदनशील रहते हुये अपने कर्तव्यों का तत्परता और निष्पक्षता से अनुपालन करें। सरकार का सदैव यह प्रयास रहेगा कि राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से शांत एवं सद्भाव का वातावरण बना रहे।

नवगठित केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85 का निर्माण किया जाना है। राजस्थान राज्य देश के अविकसित प्रदेशों में से एक है। इसका काफी भाग मरुस्थलीय है। इस क्षेत्र के विकास के लिये दूरगामी कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे, जिससे भविष्य में अकाल की विभीषिका कम हो सके एवं आर्थिक विकास की दर में भी वृद्धि हो। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि सीमित संसाधनों का प्राथ-

मिकता के आधार पर उपयोग कर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाय। राज्य सरकार भावी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगार व अल्प रोजगार को यथासंभव कम करने, आर्थिक असमानताओं में कमी लाने व पूर्व में निर्मित साधनों की क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने का लक्ष्य रखेगी। सामाजिक न्याय की दृष्टि से राज्य के बढ़ते हुये विकास का अधिक से अधिक लाभ कमजोर वर्ग के लोगों को प्राप्त हो, इसे दृष्टि में रखते हुये सरकार काम करेगी। भूमिहीन, लघु एवं सीमान्त कृषकों, अनुसूचित जाति एवं जन जाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान की दृष्टि से विशेष कार्यक्रम निर्धारित कर उन्हें उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में 20-सूत्री कार्यक्रम के द्रुत क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

राज्य की 325 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना 1980-81 का अनुमोदन योजना आयोग द्वारा किया गया है। राज्य के संसाधनों पर पुनर्विचार कर योजना के आकार में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जायेगा।

राज्य की योजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु गठित राज्य आयोजना मण्डल के पुनर्गठन के आदेश पिछली सरकार ने किये थे किन्तु यह मण्डल क्रियाशील नहीं हो पाया। राज्य की योजना प्रक्रिया को वांछित दिशा प्रदान करने के लिये सरकार राज्य आयोजना मण्डल के ढांचे में आवश्यक परिवर्तन कर इसे शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशील करेगी।

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि एवं सम्बद्ध विकास योजनायें इसकी प्रगति का मूल आधार हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु आधारभूत सुविधायें, जिनमें सिंचाई एवं आदान (इनपुट्स) सम्मिलित हैं, का विकास किया गया है। वर्ष 1979-80 में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति के कारण सिंचित क्षेत्र में भी कमी हुई। फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वर्ष 1979-80 में भारी कमी हुई है। वर्ष 1980-81 में 84 लाख मै. टन खाद्यान्न, 6.20 लाख मै. टन तिलहन, 24 लाख मै. टन गन्ना एवं 5.90 लाख कपास की गांठों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जावेंगे।

कृषि उत्पादन में वांछित वृद्धि समुचित आदान (इनपुट्स) व्यवस्था पर निर्भर करती है। अतः इस वर्ष 1.72 लाख क्वि. उन्नत बीज वितरित किया जायेगा जब कि गत वर्ष में 97 हजार क्वि. बीज वितरित किया गया था। इसी प्रकार इस वर्ष 2.18 लाख टन रसायनिक खाद उपलब्ध कराया जायेगा, जब कि गत वर्ष उपलब्धि 1.47 लाख टन थी।

विश्व बैंक समर्थित कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों में प्रशिक्षण एवं सम्पर्क प्रणाली द्वारा कृषि के उन्नत तरीकों का प्रसार किया जा रहा है। कृषि उत्पादन में इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध किये जाने हेतु विश्व बैंक

संशोधित बीज परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

गत वर्ष वर्षा के अभाव एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये कन्टिन्जेन्सी प्लान बना लिया गया है जिससे हर स्थिति का मुकाबला किया जा सके और अधिक से अधिक क्षेत्र में फसल बो कर उत्पादन स्तर को बढ़ाने के प्रयास किये जा सकें।

राजस्थान नहर परियोजना प्रथम चरण फेज-2 के लिये सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना पर इन्टरनेशनल फण्ड फोर एग्रीकल्चरल डवलपमेंट से सहायता प्राप्त करने का समझौता किया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 1980-81 में प्रारम्भ हो जायेगा। परियोजना की कुल लागत 92.94 करोड़ रुपये तथा परियोजना अवधि पांच वर्ष की है। परियोजना अवधि में 2.46 लाख हैक्टेयर में सर्वे एवं डिजाइन कार्य, 60 हजार हैक्टेयर में भू-सर्वेक्षण, एवं 2.46 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की नालियों का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 540 कि.मी. सड़कों का निर्माण व सुधार कार्य तथा 80 डिस्पेंसरी ऐक्जल सुविधा हेतु बनाई जायेंगी। वन क्षेत्र के अन्तर्गत 6 हजार "रो" कि.मी. में नहर के किनारे तथा 3 हजार "रो" कि.मी. सड़कों के किनारे पौधे लगाये जायेंगे। इसके साथ-साथ 31 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में चरागाहों का विकास किये जाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

राजस्थान में कृषि से सम्बद्ध पशुपालन का भी विशेष महत्व है। विशेषकर पश्चिमी सूखा प्रवण जिलों में दुग्ध उत्पादन एक मुख्य व्यवसाय है। वर्ष 1979-80 तक राज्य के 19 जिलों में डेयरी कार्यक्रम चालू किया जा चुका है। शेष 7 जिलों को ऑपरेशन फ्लड द्वितीय व अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष शामिल कर लिया जायेगा। वर्ष 80-81 में जयपुर में डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली डेयरी का कार्य पूरा हो जायेगा। इस डेयरी में कीटाणु रहित दुग्ध तैयार करने की भी व्यवस्था है। अलवर की डेयरी तैयार है। दौसा, कोटपुतली, ब्यावर व गंगापुर सिटी में लगाये जा रहे अवशीतन केन्द्र इस वर्ष कार्य करना आरम्भ कर देंगे। इसी वर्ष नदबई (भरतपुर) व अजमेर में संतुलित पशु आहार बनाने के कारखाने भी चालू हो जायेंगे। अजमेर में स्थित डेयरी की क्षमता बढ़ा कर एक लाख लीटर की जा रही है। भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर व हनुमानगढ़ में भी नयी डेयरियां लगाई जा रही हैं। नागौर, बाड़मेर, विजयनगर, फलोदी, फालना, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में नये अवशीतन केन्द्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। सूरतगढ़, गंगानगर, नोहर, छतरगढ़ में अवशीतन केन्द्र स्थापित करने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जावेगा।

वर्तमान में लगभग एक लाख किसान परिवार डेयरी कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं। वर्ष 1980-81 के अन्त तक इनकी संख्या 1,25,000 हो जायेगी। अब तक 2,000 से अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां व दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं, जिनकी संख्या वर्ष 1980-81 के अन्त तक 2,500 हो जायेगी।

स्विट्जरलैंड सरकार की सहायता से रामसर में दुधारु बकरियों के विकास हेतु एक फार्म खोले जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

राज्य का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है जो अपेक्षाकृत अविकसित है। प्रदेश के संतुलित विकास हेतु इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम यथा मरु विकास कार्यक्रम व डी.पी.ए.पी कार्यक्रम को और अधिक सशक्त बनाया जायेगा। इन कार्यक्रमों को सरकार और अधिक गतिशीलता से सम्पादित करेगी।

राज्य के सर्वांगीण ग्रामीण विकास हेतु राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विशेष रूप से ग्रामोन्मुखी कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। मुख्यतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का बेरोजगारी समाप्त करने में प्रमुख योगदान होगा। इस कार्यक्रम को अधिक गति दी जायेगी। इस योजना को 11 अतिरिक्त खण्डों में इस वर्ष लागू किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार का यह लक्ष्य रहेगा कि राज्य के सब ही क्षेत्रों एवं सब ही कमजोर वर्गों का सर्वांगीण विकास द्रुतगति से होता रहे। इस दृष्टि से योजना को नई दिशा प्रदान की जायेगी।

इस कृषि प्रधान प्रदेश में लघु सीमान्त कृषकों व खेतिहर मजदूरों की स्थिति को सुधारने हेतु विनियोजन पर अनुदान व्यवस्था आवश्यक है। राज्य के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत एस. एफ. डी. ए. टाइप सुविधाएं उपलब्ध हैं जिन्हें और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जायेगा।

पर्यावरण के संतुलन एवं आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों को विस्तारित एवं सघन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वनारोपण कार्य करवाये जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रतिपादित सूखा प्रबन्ध के लिए 12 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग विभिन्न कार्यक्रम हाथ में ले रहा है। राजस्थान नहर अधिक्षेत्र में वृक्षारोपण, चरागाह विकास एवं टिब्बा स्थिरीकरण के कार्य किये जा रहे हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के किनारे वृक्षारोपण एवं गवाई पड़त भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण कराया जा रहा है। वर्ष 1980-81 में 1.79 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

वन्य जीव सुरक्षा एवं दुर्लभ जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में 10 अभ्यारण्य स्थापित हैं, जिनमें सरिस्का एवं रणथम्भोर बाघ परियोजना सम्मिलित है। चम्बल में घड़ियाल प्रजनन एवं उनकी संख्या वृद्धि के लिए एक राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। जैसलमेर व बाड़मेर में विश्व का प्रथम राष्ट्रीय मरु उद्यान कायम किया जा रहा है। जयपुर शहर के समीप नाहरगढ़ क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं सफारी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रदेश की अविकसित अर्थव्यवस्था को गतिमान करने की दृष्टि से सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करने व उसके गुणात्मक विकास के प्रयत्न किये जायेंगे। वर्ष 1978-79 तक 65 प्रतिशत ग्रामीण कृषक परिवार सहकारिता के अन्तर्गत लाये जा चुके थे, इस

प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाया जावेगा। श्रीगंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़ द्वारा 1980-81 के अन्त तक उत्पादन आरंभ कर देने की समावना है व गंगानगर काटन सीड आयल प्रोसेसिंग सहकारी समिति परियोजना वर्ष 1980 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। राज्य सरकार ने राज्य भंडारण परियोजना प्रारम्भ की है जिसमें योरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से प्राप्त होती है। यह परियोजना मार्च, 84 तक चलेगी जिसमें 21.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चालू वर्ष में इस परियोजना के अंतर्गत 926 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य है। राज्य सरकार सहकारिता को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यवाही करेगी ताकि कृषि उत्पादन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसका प्रभावी योगदान हो। वर्तमान में राज्य को आवंटित लेवी की चीनी का वितरण राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ के माध्यम से ही कराया जा रहा है। संघ को इस कार्य के सुचारु संचालन में कुछ वित्तीय कठिनाइयां आ रही हैं, इस हेतु संघ को अधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान जैसे राज्य में सिंचाई का विशेष महत्व है। वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनायें जो पूर्व से चली आ रही हैं, इन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किये जाने के साथ ही साथ लघु सिंचाई योजनाओं, जिनसे शीघ्र लाभ प्राप्त होता है, पर भी अधिकाधिक बल दिया जायेगा।

राजस्थान नहर व माही बजाज सागर योजनाओं पर कार्य चल रहा है। राजस्थान नहर का प्रथम चरण लगभग समाप्ति पर है व द्वितीय चरण को अगले 5-6 वर्षों में पूर्ण किये जाने का प्रयास रहेगा। माही बजाज सागर योजना छठी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण की जा सकेगी। अन्य चालू वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर सरकार विशेष ध्यान देगी।

राज्य की मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये यू. एस. ए. आई. डी. सहायता प्राप्त की जायेगी। इस परियोजना की लागत लगभग 42 करोड़ रुपये होगी।

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से वर्ष 1980-81 में लगभग 60 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध की जा सकेगी। इसमें 41 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता राजस्थान नहर द्वारा उपलब्ध होगी।

आप सब को विदित है कि राजस्थान आधारभूत सुविधाओं, विशेषकर विद्युत शक्ति की दृष्टि से अभी भी अविकसित है गत कुछ महीनों में हमारे राज्य को गम्भीर विद्युत संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन रबी की फसल को बचाने की दृष्टि से कुल विद्युत उपलब्धि का अधिकांश भाग कृषि उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया। बिजली की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए कोटा ताप संयंत्र एवं माही जल विद्युत परियोजनाओं तथा पोंग व देहर की पांचवी व छठी इकाई पर कार्य प्रगति पर है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार इन योजनाओं पर विद्युत उत्पादन वर्ष 1982-83 व 1983-84 में प्रारम्भ होने की सम्भावना है, जिसके परिणामस्वरूप

राज्य को 496 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान अणु शक्ति केन्द्र की दूसरी इकाई से विद्युत् उत्पादन माह नवम्बर/दिसम्बर, 80 में चालू होने की सम्भावना है। इससे राज्य को लगभग 180 मेगावाट बिजली मिल सकेगी। कोटा ताप विद्युत् गृह के विस्तार का प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है।

पिछले वर्ष में भयंकर अकाल की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में सिंचाई हेतु कुओं के विद्युतीकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई। मार्च, 80 तक राज्य में 13,842 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, जिससे राज्य में विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत 41.56 हो गया। वर्ष 1980-81 में साधनों को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक ग्राम एवं कुओं के विद्युतीकरण का प्रयास किया जायेगा।

खनिज सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में एक प्रमुख स्थान है। परन्तु इनके पूर्ण सर्वेक्षण एवं विदोहन के अभाव में इनका पूरा लाभ अभी तक नहीं उठाया जा सका है। अतः यह सरकार खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण एवं उत्खनन के कार्यों को गति प्रदान करेगी। भीलवाड़ा जिले के अगूचा क्षेत्र में सीसा, जस्ता व चांदी के अपार भण्डार मिले हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में अब तक पाये गये भण्डारों में सबसे बड़े हैं। राज्य सरकार ने इन धातुओं को निकालने के लिए भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर को माइनिंग लीज प्रदान की है। इस भण्डार के खनन व परिष्करण के लिए परिद्रव्य संयंत्र भी लगाया जायेगा। पूर्ण योजना पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का विनियोजन होगा। बाड़मेर, जैसलमेर व नागौर जिलों में लिगनाइट पाये जाने की प्रबल सम्भावनाओं को देखते हुए सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं।

नवगठित राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम ने खनन् विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। जोधपुर में ग्रेनाइट चिराई व पालिश करने के संयंत्र, जिसका आयात इटली से किया गया है, कार्यरत है। पहली बार निगम द्वारा अलवर जिले से स्लेट खनिज का निर्यात नीदरलैंड किया जायेगा। निगम द्वारा बाड़मेर जिले में बैन्टोनाइट के ग्राइन्डिंग एवं परिष्करण संयंत्र की योजना कार्यरत है एवं बांसवाड़ा जिले में ग्रेफाइट भण्डार के परिष्करण के संयंत्र लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं। निगम के माध्यम से बेराइट्स का विदोहन प्रारम्भ किया जा चुका है। झामर कोटड़ा के निम्न श्रेणी के रॉक फॉस्फेट के भण्डार को उपयोगी बनाने हेतु एक परिष्करण संयंत्र की स्थापना की जा रही है, जिसकी प्रारम्भिक क्षमता 200 टन प्रति दिन होगी। इस संयंत्र के इस वर्ष के अन्त तक लग जाने की सम्भावना है।

डेयरी (सिरोही) बहुधात्विक खनिज के विकास हेतु राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ उत्खनन् की योजना है। अकवाली कॉपर भण्डार के उत्खनन् की योजना भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के विचाराधीन है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने वसन्तगढ़ कॉपर भण्डार के विदोहन हेतु खनन् पट्टे के लिये आवेदन किया था जिस पर कार्यानुमति दी जा चुकी है।

(22)

अर्थव्यवस्था के चहुंमुखी विकास में औद्योगीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य में संसाधनों पर आधारित एवं अन्य उद्योगों के स्थापना की विपुल सम्भावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उद्यमियों को इसके लिये प्रोत्साहित किया जाये जिससे लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्योगों की स्थापना होकर अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनियोजित पूंजी का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन उद्योगों को सुचारु रूप से चलाने के साथ ही निजी, सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार औद्योगीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण कर इसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने को भी कृत संकल्प है। हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों में राजस्थान का विशिष्ट स्थान है जिनके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

एक प्रमुख ट्रक चैसिस बनाने की कम्पनी द्वारा राज्य में 12,500 वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन करने का प्रस्ताव है, जिसमें 85 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा और करीब 3,500 व्यक्तियों को सीधा एवं 35,000 व्यक्तियों को परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। एक कॉस्टिक सोडा उद्योग भी राज्य में स्थापित किया जा रहा है जिसमें 22 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजन होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 68 उद्यमियों को टैक्सटाइल मिल लगाने हेतु परमिट स्वीकृत किये गये हैं। राज्य में 3 बड़े सीमेंट कारखानों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

वर्ष 1979-80 में 6,853 लघु उद्योग इकाइयां पंजीकृत हुईं जिनके विरुद्ध वर्ष 1980-81 में 11,600 लघु इकाइयों के पंजीकरण का लक्ष्य है।

वर्ष 1980-81 में राजस्थान वित्त निगम द्वारा करीब 32 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत एवं 24 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य है। वित्त निगम बन्द इकाइयों को पुनर्जीवित करने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए 61 बन्द इकाइयों को इस वर्ष चालू करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकार ने राजस्थान के औद्योगीकरण हेतु उद्यमियों को उपलब्ध होने वाली सहायता एवं सुविधाओं की अवधि को मार्च, 1984 तक बढ़ा दिया है।

निर्यातकों को जयपुर से ही सीधी निर्यात सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सांगानेर हवाई अड्डे पर एयर कारगो काम्पलेक्स स्थापित किया गया है। इस वर्ष उसके विस्तार हेतु प्रयास किया जायेगा।

राज्य में उपलब्ध ऊन की बहुलता के कारण ऊनी गलीचा उद्योग के विस्तार की संभावनाओं को कार्यरूप देने हेतु राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम 35 और गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र लगाने जा रहा है।

वर्ष 1979-80 में 509 नवीन कर्घे हाथ कर्घा मण्डल द्वारा स्थापित किये गये हैं। मण्डल चालू वर्ष में 19 बिक्री केन्द्रों को बढ़ा कर 43 केन्द्र कर रहा है। मण्डल की योजना के अन्तर्गत राजस्थान में 49.50 लाख रुपये की लागत से एक प्रोसेसिंग हाउस खोलने की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अति-

रिक्त भारत सरकार ने मण्डल को जनता कपड़ा उत्पादन करने की स्वीकृति प्रदान की है।

1980-81 में खादी का उत्पादन 1,350 लाख रुपये से बढ़ा कर 1,650 लाख रुपये किया जावेगा जिसके फलस्वरूप खादी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.33 लाख रोजगार पा रहे लोगों की संख्या बढ़ कर 1.45 लाख हो जावेगी। ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष में 11,000 अतिरिक्त इकाइयों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी। वर्ष 1979-80 में खादी बोर्ड से सहायता प्राप्त ग्रामोद्योगों के अंतर्गत 61,500 व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे थे। वर्ष 1980-81 में यह संख्या बढ़कर 78,000 हो जावेगी।

राज्य के औद्योगिक विकास में राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम का महत्वपूर्ण स्थान है। निगम द्वारा अब तक 34 परियोजनाओं के लिये संयुक्त क्षेत्र अनुबन्ध किये जा चुके हैं। इन परियोजनाओं में लगभग 150 करोड़ रुपये का विनियोजन होने का अनुमान है। इन परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है और वर्ष 1980-81 में 10 अन्य इकाइयों में उत्पादन शुरू होने की आशा है। शेष परियोजनाओं में अगले दो वर्षों में उत्पादन प्रारम्भ हो सकेगा। संयुक्त क्षेत्र में 10 सिन्थेटिक धागा परियोजनायें स्थापित करने का निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है। इन परियोजनाओं में करीब 80 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा तथा करीब 7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सिन्थैटिक धागे की तीन अन्य परियोजनायें भी स्थापित की जा रही हैं। ऊनी उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से 9 ऊनी धागा मिलों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। इसमें से 4 परियोजनाओं में 1980-81 में उत्पादन प्रारम्भ हो जावेगा और करीब 1,500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। निगम द्वारा अब तक 14.24 करोड़ रुपयों के सावधि ऋण 45 परियोजनाओं को स्वीकृत किये गये, जिसकी तुलना में वर्ष 1980-81 में ही 14 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है। उद्योगों के लिये आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना इस निगम के कार्यक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। दिनांक 31-3-80 तक निगम द्वारा 13,027 एकड़ भूमि अवाप्त की जा चुकी है। वर्ष 1979-80 के अंत तक 678 एकड़ क्षेत्र में 5,261 प्लाट आवंटित किये जा चुके थे। इस वर्ष निगम द्वारा 1,115 एकड़ क्षेत्र का विकास करने का लक्ष्य है जिसमें करीब 4.50 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा।

राज्य के पिछड़ेपन का एक कारण आधारभूत सुविधाओं में सड़कों की कमी भी है। आज भी प्रदेश के कई गांव सड़कों से जुड़े हुये नहीं होने से वर्षा के मौसम में अन्य मार्गों से अलग-थलग पड़ जाते हैं। राज मार्गों और अन्य जिला सड़कों की हालत भी कई जगह अच्छी नहीं है। अतः न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के विस्तार के साथ-साथ अन्य सड़कों के विकास की ओर ध्यान दिया जायेगा और इस दिशा में यथा सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवाओं में यथोचित सुधार किया जायेगा।

राज्य में पर्यटन की विपुल संभावनायें हैं। इसके विकास हेतु सतत् कार्यवाही की जा रही है। राज्य में राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया। पर्यटकों को आवासीय व परिवहन की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये निगम द्वारा एक वृहद् योजना तैयार की जा रही है जिससे अधिक से अधिक भारतीय एवं विदेशी पर्यटक राजस्थान की ओर आकर्षित हो सकें। इस दिशा में पर्यटन स्थलों का भी और अधिक विकास किया जायेगा।

राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनीन बनाने के लिए वह वचनबद्ध है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। आगामी वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का और अधिक विस्तार किया जायेगा। जो बालक नियमित विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, उन्हें भी शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बालकों को अधिक संख्या में स्कूल में लाने तथा उन्हें प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु निःशुल्क पुस्तकें तथा निःशुल्क ड्रेस की व्यवस्था की जायगी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार वर्तमान सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रयत्न तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं को अधिकाधिक हाथ में लेने का प्रयास करेगी।

मेरा विश्वास है कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है। इनकी शक्ति को अधिकाधिक सृजनात्मक दिशा प्रदान करने एवं इनमें अनुशासन तथा उपक्रम की प्रवृत्ति जागृत करने में शिक्षण संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सरकार इस असीमित शक्ति के भरपूर उपयोग के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी। साथ ही विद्यार्थियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे उज्ज्वल भविष्य के लिये अपने जीवन के इस अमूल्य समय का अनुशासित एवं अध्ययनरत रह कर उपयोग करें।

राजस्थान अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए सदैव याद किया जाता है। संस्कृति, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में इसकी देन राष्ट्र की अमूल्य धरोहरों में से एक है। इन धरोहरों के समुचित परिरक्षण एवं सामयिक विकास के लिये राज्य सरकार इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने के साथ ही इन्हें और सशक्त एवं गतिशील बनायेगी।

राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम का योजनाबद्ध विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जायेगा। परिवार कल्याण के अन्तर्गत नई पद्धति लेपरोस्कोपी की बढ़ती मांग को देखकर राज्य सरकार वर्ष 1980–81 में आठ

विशेष लेपरोस्कोपी यूनिट पृथक् से बनाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम की महत्ता को दृष्टि–गत रखते हुये इसके प्रति पूर्ण रूप से जागरुक है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वेच्छा के आधार पर किया जायेगा। यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज समर्थित 12 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना को चालू वर्ष में स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के तीन जिले यथा सवाई माधोपुर, भरतपुर व कोटा में परिवार कल्याण का सघन कार्यक्रम चलाया जावेगा।

जयपुर में जनवरी, 1980 से जेकेलोन मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र प्रारम्भ किया गया है, जहां बाल रोग चिकित्सा का विशेष प्रावधान है।

राज्य सरकार द्वारा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ साथ आयुर्वेद, यूनानी एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों के विकास की ओर भी पूरा ध्यान दिया जायेगा।

पर्यावरण सुधार योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिकृत कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों को सामुदायिक सुविधायें यथा पेयजल, बिजली आदि उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों को गति दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भू–खण्डों के विकास तथा आवास व्यवस्था के लिये भी सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

राजस्थान में पेयजल की गम्भीर समस्या है। 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य के 33,305 आबाद गांवों में से हमारे अनुमान के अनुसार 24,037 गांव समस्याग्रस्त श्रेणी में आते हैं। कई वर्षों से भारत सरकार से इस संख्या पर विवाद चल रहा है। वह इसे लगभग 4,000 ही मानते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार से उच्च स्तर पर इस सम्बन्ध में वार्ता हुई है और हमें पूरी आशा है कि अब वह हमारे प्रान्त में समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या को 24,037 ही मान लेंगे। इसके फलस्वरूप "त्वरित कार्यक्रम" की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्य को और अधिक राशि प्राप्त हो सकेगी। वर्ष 1979-80 के अन्त तक 5,222 गांवों में ही स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी है, जिसमें से 4,646 गांव समस्याग्रस्त थे। 1-4-80 को 2,904 गांवों को स्वच्छ पानी दिलाने हेतु योजनाओं पर काम चल रहा था। शेष गांवों को शीघ्रातिशीघ्र सुविधा दिये जाने के प्रयास उच्च प्राथमिकता के आधार पर किये जायेंगे। आशा की जाती है कि इस वर्ष करीब 2,000 और ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किये जाने वाले 138 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना का विश्व बैंक ने अनुमोदन अभी हाल ही में किया है। विश्व बैंक की सहायता जुलाई, 80 से ही प्राप्त होने लगेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 10 जिलों में 54 करोड़ रुपये की लागत से 2,000 गांवों को लाभान्वित किया जावेगा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा की नगरीय योजनाओं में जल वितरण की सुविधा के विस्तार के लिये 69 करोड़ रुपये और जल-मल निस्सारण की योजनाओं के लिये जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में

26

15 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। सम्पूर्ण परियोजना की कार्य अवधि 1980 से 85 तक की है। इस परियोजना के लिये राजस्थान जल-प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल का गठन कर दिया गया है।

पेयजल समस्या पर और भी तत्परता से काबू पाने के लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ही नलकूप खोदने के लिये इकाइयों का गठन किया गया है, जिसमें 16 रिग्स भूजल विभाग से प्राप्त की गई हैं, तथा 20 रिग्स भारत सरकार से प्राप्त की जा रही हैं। जहां मार्च 80 तक राज्य में लगभग 3,200 हैण्ड पम्प लगाये गये, वहां इस वर्ष में ही हमने 4,000 और हैण्ड पम्प लगाने का लक्ष्य रखा है जिसके विरुद्ध 561 हैण्ड पम्प तो लगाये भी जा चुके हैं। इस विषय में प्रधान मंत्री जी के सूखा प्रबन्ध 12 सूत्री कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने को सरकार कृत संकल्प है।

भारत सरकार से "त्वरित कार्यक्रम" के अन्तर्गत ग्रामीण जल योजनाओं के लिये पेय जल के लिए पिछले साल के मुकाबले में अधिक राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से 2 करोड़ 5 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जिसके विरुद्ध चालू वर्ष में एक करोड़ रुपये तो अभी तक ही प्राप्त हो चुके हैं।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कुछ नगरपालिकाओं ने समुचित आवासीय व्यवस्था के लिये योजनाएं तैयार की हैं जिन्हें नगर आयोजना विभाग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। क्षेत्रीय विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।

सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए नगर परिषद् व नगरपालिकाएं प्रयत्नशील हैं। इस हेतु न केवल उन्नत उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे बल्कि सूखे शौचालयों को फ्लश लेट्रिन में परिवर्तित करने के लिए एक विशेष योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हमारी वर्तमान इकाइयां अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन करें। इसके लिए श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने तथा औद्योगिक विवादों को आपसी वार्ता द्वारा हल करने में सरकार पूर्णतः सचेष्ट रहेगी। श्रमिकों के उचित संरक्षण की ओर भी ध्यान रखा जायेगा।

कृषि क्षेत्रों में विशेषतः अनुसूचित जाति/जन जाति के श्रमिकों के लिए श्रम कानून के प्रभावी क्रियान्विति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसी प्रकार महिला एवं बाल श्रमिकों की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था करने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है। खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को हल करने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावेगा।

20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वर्ष 1975 में श्रमिकों को उद्योग प्रबन्ध में भागीदार बनाने हेतु समितियां बनाने का कदम उठाया गया था। 1977 के बाद से समितियां पूर्णतया कार्यशील नहीं थीं। अब केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार औद्योगिक इकाइयों में संयुक्त प्रबन्ध समितियां बनाने तथा इन्हें पूर्णतया कार्यशील

करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

श्रम अधिनियम एवं नियम में सरलीकरण एवं संशोधन इत्यादि पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जायेगा।

राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु पूर्णतया जागरुक है। इस दिशा में मार्च, 80 में अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस निगम के माध्यम से इन जातियों के व्यक्तियों को संस्थागत वित्त प्राप्त करने में सहायता मिलेगी एवं इनका विकास द्रुत गति से हो सकेगा।

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को सामान्य विकास योजनाओं से पूरा-पूरा लाभ प्राप्त हो, इस दृष्टि से कम्पोनेन्ट प्लान बनाया जा रहा है। केन्द्र में स्थापित नई सरकार ने मार्च, 80 में अनुसूचित जातियों के विकास हेतु कार्यक्रमों को और अधिक गति देने की दृष्टि से विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया है जिसके तहत राजस्थान को 23 लाख रुपये प्राप्त हुए। वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक राशि प्राप्त होने की संभावना है।

अभी तक बाल अधिनियम केवल पांच जिलों में लागू है। वर्ष 1980-81 में इस अधिनियम के अन्तर्गत 2 और जिलों को लिये जाने का प्रस्ताव है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के कार्यक्रम को चालू रखा जायेगा। विमंदित बाल गृह हेतु जयपुर में एक विशाल भवन का निर्माण किया जा रहा है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में अनुसूचित जन जातियों के विकास हेतु जन जाति उप योजना क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस उप क्षेत्र में राज्य की कुल जनजाति की 66% जनसंख्या बसी हुई है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य योजना से धन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से गतिशील बनाया जायेगा। इस क्षेत्र की जनजातियों की भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए जिलाधीशों को विशेष स्टाफ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जन जाति के सदस्यों को निःशुल्क कानूनी सहायता, सिंचाई के कुओं के लिये ब्लास्टिंग का कुल व्यय अनुदान स्वरूप दिये जाने एवं क्राफ्ट प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण समाप्ति पर निःशुल्क किट दिये जाने की योजनाएं भी विचाराधीन हैं।

राज्य में अन्य क्षेत्रों में बिखरे हुए अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को लाभ पहुंचाने हेतु 36 लघु खण्ड चिन्हित किये गये हैं। इन खण्डों के विकास हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा।

किसान की खुशहाली एवं कृषि विकास की दृष्टि से भूमि सुधार की प्रक्रिया को त्वरित किया जाना है। भू-अभिलेखों को तेजी से अादिनांक किया जायेगा। साथ ही भूमि सुधार तथा सीलिंग कानूनों पर तेजी

(28)

से अमल किया जायेगा। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गत कांग्रेस सरकार ने भूमिहीनों को भूमि आवंटित की थी। किन्तु यह ज्ञात हुआ है कि इनमें से कुछ आवंटियों की भूमि पर दूसरों ने जबरन कब्जा कर रखा है। इन मामलों में आवंटियों को उनको आवंटित भूमि पर पुनः कब्जा दिलाया जायेगा।

देश की सुरक्षा में राजस्थान के जवानों का शौर्य चिरस्मरणीय है। इनके परिवारों एवं सेवा निवृत्त सैनिकों के कल्याण कार्यों के प्रति सरकार सचेष्ट रहेगी।

सरकार इस सत्र में राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980, राजस्थान विधान सभा (सदस्यों तथा अधिकारियों के परिलाभ तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1980, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1980 एवं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 आदि आपके सम्मुख विचार हेतु प्रस्तुत करेगी।

सरकार की मान्यता है कि राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन केवल कानूनी या सरकारी प्रयत्नों से नहीं मिटाया जा सकता। मैं राज्य की जनता एवं आप सबका आह्वान करता हूँ कि इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप सब आगे आयें और जन साधारण के समक्ष अपने आपको उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत करें। विभिन्न सामाजिक कुरीतियां विशेषकर बालविवाह, अनमेल विवाह, मृत्यु भोज व विवाह जैसे उत्सवों में फिजूलखर्ची, दिखावा एवं दहेज प्रथा को रोकने में अधिकाधिक सहयोग दें। इस संबंध में मैं सामाजिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थाओं से भी अपील करता हूं कि वे आगे आय और समाज की कुरीतियों को दूर करने में सहायक हों।

माननीय सदस्यगण, मैंने यहां सरकार की चालू वर्ष की कुछ प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों का ही उल्लेख किया है जो हमारी आकांक्षाओं की प्रतीक मात्र है। कई मुद्दों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है और ना ही इनका उल्लेख करना उचित समझा है। क्योंकि यह सरकार स्वर्गीय नेता श्री संजय गांधी के नारे "काम अधिक बातें कम" में विश्वास करती है सरकार अपना स्वरूप लोगों के समक्ष बातों से नहीं वरन् अपने काम से प्रस्तुत करेगी।

विभिन्न कठिनाइयां होते हुए भी सरकार प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्प है। हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं जिन्हें हम एकता, परिश्रम और निष्ठापूर्वक काम करके ही सुलझा सकते हैं। सरकार राज्य को कुशल, स्वच्छ एवं गतिशील प्रशासन प्रदान करते हुए राज्य के उज्जवल भविष्य की ओर निरन्तर अग्रसर रहेगी। मुझे विश्वास है कि आप सब जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और इस सदन की गरिमा एवं गौरवशाली परम्पराओं को बनाये रखेंगे।

जय हिन्द :